म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, जेल रोड भोपाल

क्रमांक / जैविक / बी–3 / 914 भोपाल दिनांक 15 / 12 / 2014

प्रति,

संयुक्त संचालक / उपसंचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय.....................(समस्त)

विषय :— मंडी प्रांगण में जैविक कृषि उत्पाद विक्रय के लिये शेड आरक्षित करने बावत् ।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि, पूर्व में भी मंडी समितियों को जैविक कृषि उत्पाद विक्रय के लिए अलग शेड का आरक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे मंडियों में भ्रमण के समय पाया गया कि, उपरोक्त आरक्षित शेड में जो सूचना पटल लगाये गये है, वहां अत्यन्त छोटे एंव अस्पष्ट है जिससे आने वाले कृषकों को जैविक उत्पाद के लिये आरक्षित स्थान की स्पष्टता नही हो पाती है। मान0 मुख्यमंत्री जी, द्वारा मंडला में आयोजित कृषि महोत्सव समापन समारोह में प्रदेश में जैविक खाद्य उत्पाद को प्रोत्साहन किये जाने की घोषणाएं की गई थी।

अतएव पत्र के साथ आरक्षित शेड में जैविक उत्पाद विक्रय हेतु उपरोक्त शेड आरक्षित किया गया है, का स्वरूप कृषकों एवं अन्य को स्पष्ट हो सके इस हेतु लगाये जाने वाले बोर्ड तथा उसका साईज के साथ ही लिखे जाने वाले मेटर (विवरण) एवं कलर का चयन किया गया है।

कृपया आपके संभागार्न्तगत मंडियों में आरक्षित शेड पर उपरोक्तानुसार बोर्ड दिनांक 24.12.2014 तक लगाया जाना सुनिश्चित कर एवं कार्यवाही प्रगति को एकजाई रूप से फोटो प्रमाण सहित भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रबंध संचालक द्वारा आदेशित)

संलग्नः— उपरोक्तानुसार ।

अपर संचालक (मि.परी.)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

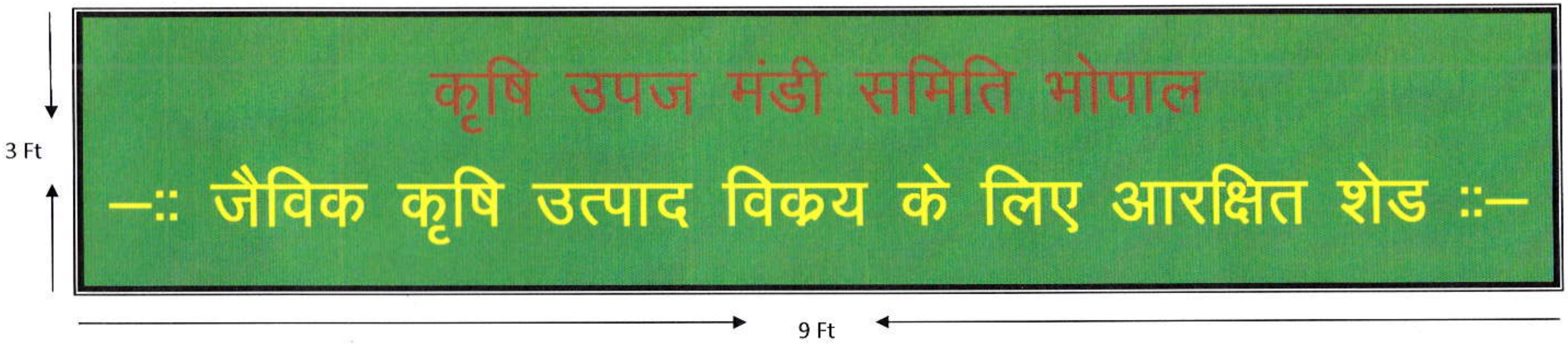
कृषि उपज मंडी समिति भोपाल
–:: जैविक कृषि उत्पाद विक्रय के लिए आरक्षित शेड ::–
3 Ft
9 Ft